न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एस0एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1601—एक/2004 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 22—11—2004 के द्वारा न्यायालय आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 56/अपील/2004—05

....

बीरेन्द्र कुमार तनय श्री अंगद प्रसाद
निवासी—ग्राम पतेरी, तहसील हुजूर,
जिला—रीवा, म0प्र0

.... आवेदक

विरूद्ध

1— सविता देवी
2— अरिमर्दन प्रसाद
3— रमागोविन्द
4— नटवर प्रसाद, पिता स्व0 उमाशंकर
निवासी—पतेरी कोठार तहसील हुजूर
जिला—रीवा, म0प्र0

........................अनावेदकगण

....

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
एकपक्षीय, अनावेदकगण

....

आदेश

(आज दिनांक 23/12/16 को पारित)

यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22—11—2004 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/अ–13/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2002 के द्वारा पतेरी में स्थित आवेदक की भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे क्र0 94, 95, 120 जो कि आवेदक के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य के थे। तहसीलदार द्वारा दिनांक 10.07.2002 के द्वारा आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि क्र0 94, 95 120 में से रास्ता कायम किये जाने का आदेश संहिता की धारा 176 में खाते का परित्याग करते हुये रास्ता कायम किये जाने का आदेश प्रदान किया गया और खसरे में रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर, जिला–रीवा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 178/अ–13/अपील/2002–03 पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 30.09.04 को अपील निरस्त करते हुये उक्त वादग्रस्त भूमि का पंचायत निधि की राशि से भू–अर्जन करने का आदेश ग्राम पंचायत को दिया गया । ग्राम पंचायत विधिवत भू–अर्जन की कार्यवाही कराकर भूमि खसरा नं0 94, 95, 120, 108, 131 में से 0.004 है0 के भू–अर्जन की राशि भूमिस्वामियों को प्रदाय करते हुये उक्त भूमि में से रास्ता निर्माण का कार्य किये जाने के आदेश दिये। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा न्यायालय आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रकरण क्रमांक 56/अपील/2004–05 दर्ज किया गया तथा दिनांक 22.11.2004 को आदेश पारित कर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील निरस्त की गई। आयुक्त रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2004 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत कर बताया कि नायब तहसीलदार हुजूर द्वारा प्रकरण क्रमांक 03/अ–13/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2002 के द्वारा पतेरी में स्थित प्रार्थी के भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक 94, 95, 120 जो कि आवेदक के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य के थे, जिसे आवेदक द्वारा शासकीय रास्ता कायम किये जाने बावत कोई सहमति नहीं दी गई थी। इसके बावजूद भी तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 10.07.2002 के द्वारा आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक 94, 95, 120 में से रास्ता कायम किये जाने का आदेश म0प्र0भू0राजस्व संहिता की धारा 176 में खाते का परित्याग करते हुये रास्ता कायम किये जाने का आदेश प्रदान किया गया और खसरे में रास्ता कायम किये जाने आदेश प्रदान किया गया था । नायब तहसीलदार द्वारा पारित किया गया आदेश म0प्र0भू0राजस्व संहिता की धारा 176 के प्रावधानों के विपरीत था, क्योंकि

म0प्र0भू0राजस्व संहिता की धारा 176 में खाते का परित्याग किन आधारों पर किया जायेगा, इसका उल्लेख म0प्र0भू0राजस्व संहिता की धारा 176 में दिया गया, परन्तु नायब तहसीलदार द्वारा पारित किये गये आदेश में संहिता की धारा 176 में दी गई शर्तों का पालन किये बगैर जो आदेश पारित किया गया था, उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। परन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस बिन्दु पर विचार किये बगैर की नायब तहसीलदार द्वारा म0प्र0भू0राजस्व संहिता की धारा 176 के अंतर्गत आवेदक की भूमि का परित्याग करने संबंधी जो आदेश पारित किया गया है । उक्त आदेश म0प्र0भू0राजस्व संहिता की धारा 176 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं पर विचार किये बगैर आवेदक की अपील निरस्त किये जाने का जो आदेश पारित किया गया है । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष यह आपत्ति प्रस्तुत की थी कि प्रार्थी ने अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि को परित्याग करने के लिये कोई सहमति प्रदाय नहीं की गई है और ना ही प्रार्थी विचारणीय न्यायालय में उपस्थित होकर अपने कथन अंकित करये है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा बिना प्रार्थी के कथन लिये बगैर प्रार्थी की फर्जी एवं कूटरचित सहमति को सही मानकर जो आदेश पारित किया गया है उक्त आदेश विधिसंगत न होने से निरस्त किये जाने योग्य था, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रार्थी द्वारा उठाई गई आपत्ति पर विचार न करते हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का जो आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है, परन्तु आयुक्त रीवा ने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित यिका गया आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर होने तथा म0प्र0भू0राजस्व संहिता में बने हुये उपबंधों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्व मण्डल द्वारा कई प्रकरणों में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि द्वितीय अपीलीय न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह कर्त्तव्य है कि बिना मूल अभिलेख मंगाये बगैर तथा बिना कारण दिये बगैर संक्षिप्त रूप से अपील निरस्त नहीं की जा सकती है, परन्तु आयुक्त रीवा द्वारा बिना रिकॉर्ड एवं अभिलेख बुलाये बगैर ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किये बगैर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त किया है। आवेदक के अभिभाषक द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि नया रास्ता कायम करने का अधिकार म0प्र0भू0राजस्व संहिता की धारा 135 के अंतर्गत कलेक्टर को है। ग्राम पंचायत द्वारा कलेक्टर के समक्ष प्रार्थी की भूमि सर्वे क्र0 95/2, 94/2 120/2 में से सार्वजनिक रास्ता हेतु अर्जित किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसका प्रकरण क्र0 2/2014–मूल/2003–04 है, जिसमें आदेश दिनांक 06.09.2004 के द्वारा ग्राम

पंचायत द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया । इस प्रकार तथा रास्ते के लिये अतिजन के लिये जनता के आवेदन पत्र पर भू–अर्जन की कार्यवाही करने का अधिकार कलेक्टर को है और उक्त आदेश की प्रति प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत की थी और यह आपत्ति भी की थी तहसीलदार को संहिता की धारा 176 के अंतर्गत जो कार्यवाही की है उक्त कार्यवाही में संहिता की धारा 176 के प्रावधानों के अनुरूप पालन नहीं किया गया है इसलिये उक्त भूमि के संबंध में विचारणीय न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उक्त आदेश निरस्त फरमाया जावे। परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दू पर कोई विचार नहीं किया और ग्राम पंचायत निधि से भू–अर्जन की राशि प्रदाय करने का जो आदेश पारित किया है । उक्त आदेश पारित करने का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त न होते हुये भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश अधिकारिता रहित एवं व्यर्थ होने से निरस्त किये जाने योग्य था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अभिलेख बुलाये और प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त तर्क का सकारण आदेश अंकित न करते हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का जो आदेश पारित किया गया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश एक पक्षीय आदेश है प्रार्थी द्वारा जो तर्क अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त संभाग के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। उन तर्कों के संबंध में कोई विवेचना किये बगैर विचारणीय न्यायालय सहमति के संबंध में बिना कथन लिये तथा प्रार्थी को समक्ष में सहमति के संबंध में सुनवाई का अवसर दिये बगैर फर्जी व कूटरचित सहमति के आधार पर जो आदेश पारित किया गया था, उक्त सहमति के संबंध में प्रार्थी ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत की थी, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने भी इस बिन्दु पर कोई विचार नहीं किया । अधीनस्थ न्यायालय ने तो प्रकरण का अवलोकन किये बगैर ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों के संबंध में जांच किये बगैर ही अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश जो कि अधिकारिता रहित व शून्य एवं अवैध था को स्थिर रखते हुये आदेश पारित किया गया है । ऐसा आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का परिशीलन किया। प्रकरण के परीक्षण करने पर विदित होता है कि विवाद सार्वजनिक रास्ते से संबंधित है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उभयपक्षों की सुनवाई के उपरांत ही आदेश पारित किया गया है, जो विधिसंगत प्रतीत होता है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । इसी स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर ने आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त किया है और आयुक्त रीवा ने अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त किया जाता है तथा आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2009 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है ।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर